संख्या-25/2020/440/कनिप्र/26-3-2020-18(6)/2018

प्रेषक,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ — लखनऊ: दिनांक : 17 जुलाई,2020

समाज कल्याण विभाग

विषय: अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु टेलरिंग शॉप योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति 2020-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक-131/लेखा अनुभाग/2020-21 दिनांक 27 मई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक/ युवतियों हेतु टेलरिंग शॉप योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रू0 20,60,00,000/- (रू. बीस करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आवश्यकतानुसार/नियमानुसार आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवंटित की जायेगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी.एल.ए./ डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो।

3- प्रश्नगत स्वीकृति के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

4- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

6- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0122-उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित टेलरिंग शॉप योजना (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020 एवं शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-05-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-478/दस/ 2020 दिनांक 16 जुलाई, 2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ0संख्या-25/2020/ 440 (1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज।
2-प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ
4- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0 शासन।
5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा. रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।